

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 07/2020-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 03 फरवरी, 2020

सा0का0नि0.....(अ)- आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग, की अधिसूचना संख्या 44/2019-केंद्रीय कर, तारीख 9 अक्टूबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 767(अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि जनवरी, 2020, फरवरी, 2020 और मार्च, 2020 के लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी, ऐसे करदाताओं, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्तन पांच करोड़ रुपए तक हो, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश राज्यों या संघ राज्यक्षेत्र दमण और दीव और दादरा और नागर हवेली, पुडुचेरी, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप में है, इलेक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से क्रमशः 22 फरवरी, 2020, 22 मार्च, 2020 और 22 अप्रैल, 2020 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु यह भी कि जनवरी, 2020, फरवरी, 2020 और मार्च, 2020 के लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी, ऐसे करदाताओं, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्तन पांच करोड़ रुपए तक हो, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा,

मेघालय, असम, पश्चिमी बंगाल, झारखंड या उड़ीसा या संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली राज्यों में हैं, इलेक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से क्रमशः 24 फरवरी, 2020, 24 मार्च, 2020 और 24 अप्रैल, 2020 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।”

[फा0 सं0 20/06/09/2019-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना, अधिसूचना संख्यांक 44/2019-केंद्रीय कर, तारीख 9 अक्टूबर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) सा0का0नि0 सं0 767(अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2019 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0 77/2019-केंद्रीय कर, तारीख 26 दिसंबर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) सा0का0नि0सं0 956(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2019 को प्रकाशित किए गए थे ।